भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1172
उत्तर देने की तिथि : 25.11.2019

शिक्षक वृन्द की कमी

1172. श्री राहुल कस्वां:
श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश भर के विश्वविद्यालयों में विभिन्न संकायों की कमी है और यदि हां, तो विभिन्न विश्वविद्यालयों विशेष रूप से राजस्थान में संकायों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार सक्षम और कर्तव्यपरायण शिक्षकों की कमी का सामना कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों के लिए पात्रता मानदंडों में छूट प्रदान करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मानव संसाधन विकास मंत्री
(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (घ): वर्तमान में, देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों में कुल 1,77,235 स्वीकृत शिक्षण पद हैं, जिनमें से 32,581 पद खाली पड़े हैं। राजस्थान राज्य में, विभिन्न विश्वविद्यालयों में 13,924 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से 2,358 पद खाली पड़े हैं। राजस्थान सहित शिक्षण कर्मचारियों के स्वीकृत और रिक्त पदों का विस्तृत विवरण **अनुलग्नक** में संलग्न है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने अपने अर्ध शा. पत्र संख्या एफ 1-14/2019 (सीपीपी-II) दिनांक 4 जून, 2019 द्वारा विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और समवत विश्वविद्यालयों में संकाय की भर्ती के लिए दिशानिर्देश तैयार किए गये हैं जिसमें चयन प्रक्रिया और भर्ती के लिए समय सीमा दी गयी है जो कि सभी विश्वविद्यालयों को पालन करने हेतु परिचालित कर दिये गए हैं। विश्वविद्यालयों को यह भी अनुरोध किया गया है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएं कि विश्वविद्यालय के साथ साथ विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाए और यूजीसी के विश्वविद्यालय गतिविधि निगरानी पोर्टल पर भर्ती प्रक्रिया की स्थिति अपलोड की जाए। सभी विश्वविद्यालयों को परिचालित दिशानिर्देशों की एक प्रति https://www.ugc.ac.in/ugc_notices.aspx?id=2418 पर उपलब्ध है।

युवा प्रतिभाशाली शिक्षकों को आकर्षित करने हेतु सामाजिक विज्ञान, मानविकी और भाषा में 3.00 लाख रूपए तक और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में 6.00 लाख रूपए तक का स्टार्ट-अप अनुदान प्रदान करने के लिए यूजीसी (विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अहर्ता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय) विनियम, 2018 में प्रावधान है जिससे शिक्षक और अन्य गैर-व्यावसायिक शैक्षणिक स्टाफ अपनी नियुक्ति के तत्काल बाद शोध कार्य शुरू कर सकें।

इसके अलावा यूजीसी ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सहायक संकाय के पैनल के लिए दिशानिर्देश भी तैयार किए हैं। ये दिशानिर्देश उच्च शिक्षण संस्थानों को उन प्रख्यात शिक्षकों और शोधकर्ताओं तक पहुँच स्थापित करने में सक्षम बनाते हैं, जिन्होंने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के साथ औपचारिक सहयोग को पूरा कर लिया है, ताकि उनसे शिक्षण में भाग लेने, एम.फिल और पीएचडी स्तर पर शोध अर्हता के लिए अनुसंधान गतिविधियों में सहयोग और प्रोत्साहित करने एवं मार्गदर्शक और प्रेरक की भूमिका निभाने हेतु संपर्क किया जा सके।

यूजीसी (विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अहर्ता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय) विनियम के खंड 4.1 में सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए योग्यता का प्रावधान है। वर्तमान में, विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों के लिए पात्रता मानदंडों में छूट प्रदान करने के लिए यूजीसी में कोई सक्रिय प्रस्ताव नहीं है।

******